रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2015/कार्तिक 27, 1937
No. 713] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2015/KARTIKA 27, 1937

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व विभाग)**

**(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2015

**सा.का.नि. 883(अ).**–राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर विभाग असांविधिक विभागीय कैंटीन भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, आयकर विभाग में असांविधिक विभागीय कैंटीनों में विभिन्न समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर विभाग, असांविधिक विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान**. – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **लागू होना**. – ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**. – भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

5. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहॉ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति**.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेषों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन | चयन अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. कैंटीन परिचर | 341* (2015)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड–1, 5200–20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1800/- रू. | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18–25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण** :– आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं। | मैट्रिकुलेशन या समतुल्य | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):<br>(क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) –अध्यक्ष<br>(ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय)<br>जहॉ कोई उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) नहीं है, तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त –सदस्य<br>(ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क –सदस्य<br><br>(घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। –अतिरिक्त सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. सहायक | 40* (2015) | साधारण केन्द्रीय | वेतन बैंड–1, 5200–20200 रूपये | अचयन |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| हलवाई—सह—रसोईया | *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | +ग्रेड वेतन 1900/- रू. | |

| 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| 18—25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण** :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं। | (क) 10वीं कक्षा पास के साथ खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा<br>(ख) अनुभव— एक वर्ष<br>(ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए स्वच्छता आदि बनाए रखने सहित भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।<br><br>**टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य |

| 10 | 11 |
|---|---|
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा | **प्रोन्नति** :<br><br>वेतन बैंड—1, 5200—20200 रू. तथा ग्रेड वेतन 1800 रू. में ऐसे कैन्टीन परिचर जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।<br><br>विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भोजन बनाने तथा स्वच्छता आदि बनाए रखने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित करवाया जाएगा।<br><br>टिप्पण 1.— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br><br>टिप्पण 2.— जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**प्रतिनियुक्ति** :<br><br>केन्द्रीय सरकार के अधिकारी —<br><br>(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) कैन्टीन परिचर जो वेतन बैंड—1, 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन 1800 रू. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा के साथ हलवाई—सह—रसोईया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव रखते हों; और<br>(iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।<br><br>**टिप्पण** 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने |

| | |
|---|---|
| | की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण** 2.– पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br><br>**टिप्पण** 3.– प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |

| 12 | 13 |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):<br>(क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) – अध्यक्ष<br>(ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहॉं कोई उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) - नहीं है, तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त सदस्य<br>(ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क – सदस्य<br>(घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। – अतिरिक्त सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 3. हलवाई–सह–रसोईया | 36* (2015)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड–1, 5200–20,200 रूपये + ग्रेड वेतन 2000/- रू. | अचयन |

| 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| 18–25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी)<br><br>**टिप्पण** :– आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं। | क) 10वीं कक्षा पास के साथ खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा<br>ख) अनुभव–सरकारी उपक्रम में दो वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी।<br>ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा।<br><br>**टिप्पण** : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| 10 | 11 |
|---|---|
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा | **प्रोन्नति :–** ऐसे सहायक हलवाई–सह–रसोईया जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू.तथा ग्रेड वेतन 1900 रू. में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।<br><br>**टिप्पण** 1.– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br>**टिप्पण** 2.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके |

| | |
|---|---|
| | द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**प्रतिनियुक्ति** :<br><br>केन्द्रीय सरकार के अधिकारी—<br><br>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) ऐसे सहायक हलवाई—सह—रसोईया (कुक) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन 1900 रू. में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो; और<br>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों।<br><br>**टिप्पण** 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br><br>**टिप्पण** 2.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।<br><br>**टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |

| 12 | 13 |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) ;<br>(क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) — अध्यक्ष<br>(ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहॉ कोई उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) नहीं है तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त — सदस्य<br>(ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क — सदस्य<br>(घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। — अतिरिक्त सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4. लिपिक | 99* (2015)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड—1, 5200—20200 रूपये + ग्रेड वेतन 1900/- रू. | अचयन |

| 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| 18—25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण**.— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक | क) वाणिज्य विषय के साथ 12वीं कक्षा पास या समतुल्य<br>ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेषन प्रति के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं। | **टिप्पण** 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br><br>**टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | | |

| 10 | 11 |
|---|---|
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | **प्रोन्नति :–**<br><br>ऐसे कैन्टीन परिचर जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200–20,200 रू. तथा ग्रेड वेतन 1800 रू. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।<br>कैन्टीन परिचरों की लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा।<br><br>**टिप्पण** 1.– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br><br>**टिप्पण** 2.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। |

| 12 | 13 |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए):<br>(क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) – अध्यक्ष<br>(ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहाँ कोई उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) नहीं है तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त – सदस्य<br>(ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क – सदस्य<br>(घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। – अतिरिक्त सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 5. सहायक प्रबंधक–सह–भंडारी | 29* (2015)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड–1, 5200–20200 रूपये +ग्रेड वेतन 2400/- रू.<br>टिप्पण :– वह 'क', 'ख', 'ग', 'घ' '2–क' और '3–क' प्रकार की कैंटीनों में कर्त्तव्य करने के लिए 250 रू. प्रतिमाह और '4–क' प्रकार की तथा इससे ऊपर की कैंटीनों में 500 रूपये प्रति माह विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा। | अचयन |

| 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| 18—25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br><br>**टिप्पण** :– आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं। | क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम. अथवा मान्यताप्राप्त विष्वविद्यालय से किसी भी विधाशाखा में स्नातक के साथ बुक कीपिंग अथवा स्टोर कीपिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा<br>ख) अनुभव :– किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार या लेखाओं के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव<br><br>**टिप्पण 1**.– अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।<br><br>**टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। | लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य |

| 10 | 11 |
|---|---|
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा | **प्रोन्नति** :–<br><br>(i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200-20200 रू. तथा ग्रेड वेतन 1900 रू. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो।<br>(ii) ऐसे हलवाई–सह–रसोईया जो वेतन बैंड–1, 5200-20200 रू. तथा ग्रेड वेतन 2000 रू. में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ भंडारों या लेखाओं के संचालन में दो वर्षों का अनुभव रखते हो और सीधी भर्ती किए जाने वाले लिपिक के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों अर्थात् वाणिज्य विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।<br><br>**टिप्पण** 1.– प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1. 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।<br>**टिप्पण** 2.– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।<br><br>**प्रतिनियुक्ति** :<br><br>केन्द्रीय सरकार के अधिकारी —<br><br>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या<br>(ii) जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200—20200 रूपये तथा ग्रेड वेतन 1900 रू. में कम से कम आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो।<br>(iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हों, और<br>(ख) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार या लेखाओं के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव हो।<br><br>**टिप्पण** 1.– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।<br>**टिप्पण** 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। |

| | |
|---|---|
| | **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। |

| 12 | 13 |
|---|---|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) ;<br>(क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) – अध्यक्ष<br>(ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहॉ कोई उप आयकर आयुक्त– सदस्य<br>(मुख्यालय) नहीं है तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त<br>(ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क – सदस्य<br>(घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी – अतिरिक्त सदस्य<br>जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से<br>कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से<br>कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। | संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है। |

[फा.सं. एच.आर.डी./सी.एम./122/01/2013–14){ डायरी सं0 1511/2015–प्रशा.7]

जती सिंह मीणा, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2015

**G.S.R. 883(E).—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Income Tax Department non-statutory Departmental Canteens Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various group 'C' posts of non-statutory Departmental Canteens in the Income-tax Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax Department, Non-Statutory Departmental Canteens (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**— The number of the said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Application**.— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed thereto.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications**. — No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| **Name of the post** | **Number of post** | **Classification** | **Pay Band and Grade Pay** | **Whether Selection or Non-Selection post** |
|---|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
| 1.Canteen Attendant | 341*(2015)<br>*Subject to variation dependent on work-load | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | PB-1, Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay of Rs. 1800/- | Not Applicable |

| **Age limit for direct recruits** | **Educational and other qualifications required for direct recruits** | **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees** | **Period of probation, if any** |
|---|---|---|---|
| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 18-25 years, (relaxation of age limit upto 40 years for Government Servants) in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.<br><br>**Note**.—The crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for. | Matriculation or equivalent | Not Applicable | Two years |

| **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods** | **In case of recruitment by promotion/deputation, grades from which promotion/ deputation to be made** | **If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition** | **Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.** |
|---|---|---|---|
| **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
| Direct Recruitment | Not applicable | **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):**<br>(a) Additionalor Joint Commissioner - | Consultation with UPSC not necessary. |

Chairperson
Of Income-tax(Headquarters)
(b) Deputy Commissioner of Income -Member
Tax(Headquarters) where there is no Deputy Commissioner of Income-tax(Headquarters), the senior most Deputy Commissioner of Income-tax of the region.
(c) Local Deputy Commissioner of -Member
Customs and Central Excise
(d) One Scheduled Caste or - Additional Member
Schedule Tribe Officer not Below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer, unless one of the members at (a) to (c) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 2. Assistant Halwai – cum-Cook | 40*(2015)<br>*Subject to variation dependent on work-load | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial | PB-1, Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay of Rs. 1900/- | Non- Selection |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| 18-25 years, (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government)<br><br>**Note**.—The crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for. | (a) 10th Class Pass with Certificate or Diploma in catering<br>(b) Experience-One Year<br>(c) A Trade Skill Test for cooking including maintenance of hygiene, etc., shall be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.<br><br>**Note**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable | Two years for Direct Recruits, NIL for promotees. |

| (10) | (11) |
|---|---|
| Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. | **Promotion:**<br><br>Canteen Attendant in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1800 with atleast three years regular service. |

A Trade skill Test shall be got conducted by the Departmental Promotion Committee with reference to the cooking including maintenance of hygiene etc.

**Note-1**.—For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

**Note-2**.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation**.—

Officers of the Central Government—

(i) Holding analogous posts on regular basis, or

(ii) Canteen Attendant in the Pay Band-1 of Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1800 with atleast three years regular service having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and

(iii) Possessing educational qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under Column (7).

**Note-1**.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note-2**.—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note-3**.— For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):**<br>(a) Additional or Joint Commissioner of Income-tax(Headquarters) -Chairperson<br>(b) Deputy Commissioner of Income Tax(Headquarters) where there is no Deputy Commissioner of Income-tax(Headquarters), the senior most Deputy Commissioner of Income-tax of the region. -Member<br>(c) Local Deputy Commissioner of Customs and Central Excise -Member | Consultation with UPSC not necessary. |

| | |
|---|---|
| (d) One Scheduled Caste or Scheduled Tribe Officer not Below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer, unless one of the members at (a) to (c) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe | -Additional Member |

| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** |
|---|---|---|---|---|
| 3. Halwai – cum- Cook | 36*(2015)<br>*Subject to variation dependent on work-load | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | PB-1, Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay of Rs. 2000/- | Non- Selection |

| **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
|---|---|---|---|
| 18-25 years, (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government)<br>**Note**.—The crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for. | (a) 10th Class Pass with Certificate or Diploma in catering<br>(b) Experience- Two years in a Government Undertaking preferred.<br>(c) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate.<br><br>**Note**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable | Two years |

| **(10)** | **(11)** |
|---|---|
| Promotion failing which by deputation and failing both by Direct Recruitment | **Promotion:**<br><br>Assistant Halwai-cum-Cook with atleast three years regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1900/-<br><br>**Note-1**.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br><br>**Note-2**.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br><br>**Deputation:**<br><br>Officers of the Central Government— |

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or

(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with atleast threeyears regular service in the Pay Band-1, Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1900; and

(b) Possessing the qualifications and experience as prescribed for Direct Recruits under column (7).

**Note-1**.—The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.

**Note-2**.—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note-3**.— For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee(for considering confirmation):**<br>(a) Additionalor Joint Commissioner Of Income-tax(Headquarters) -Chairperson<br>(b) Deputy Commissioner of Income Tax(Headquarters) where there is no Deputy Commissioner of Income-tax(Headquarters), the senior most Deputy Commissioner of Income-tax of the region. -Member<br>(c) Local Deputy Commissioner of Customs and Central Excise -Member<br>(d) One Scheduled Caste or Schedule Tribe Officer not Below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer, unless one of the members at (a) to (c) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe -Additional Member | Consultation with UPSC not necessary. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 4. Clerk | 99*(2015)<br>*Subject to variation dependent on work-load | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | PB-1, Rs. 5200-20,200 plus Grade PayofRs. 1900/- | Non- Selection |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| 18-25 years, (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government).<br><br>**Note**.—The crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for. | (a) (a) 12th Class Pass or equivalent with Commerce;<br>(b) A typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m in Hindi on computer. (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 Key Depression per Hour/9000 Key Depression per Hour on an average of 5 key depressions for each word.)<br><br>**Note-1**.— Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.<br><br>**Note-2**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | Not applicable | Two years for Direct Recruits, NIL for promotees |

| (10) | (11) |
|---|---|
| Promotion failing which by Direct Recruitment. | **Promotion:**<br><br>Canteen Attendant with atleast three years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1800/-<br>A two week training on OrganisationalBehaviour, Communication Skill and Accounting Practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from ISTM or any other institute recognised by the Central Government or State Government.<br><br>**Note-1**.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br>**Note-2**.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):**<br>(a) Additionalor Joint Commissioner -Chairperson | Consultation with UPSC not necessary. |

Of Income-tax(Headquarters)
(b) Deputy Commissioner of Income Tax(Headquarters) where there is no Deputy Commissioner of Income-tax(Headquarters), the senior most Deputy Commissioner of Income-tax of the region. -Member
(c) Local Deputy Commissioner of Customs and Central Excise -Member
(d) One Scheduled Caste or Schedule Tribe Officer not Below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer, unless one of the members at (a) to (c) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe -Additional Member

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 5. Assistant Manager-Cum-Store Keeper | 29*(2015) *Subject to variation dependent on work-load | General Central Service, Group'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | PB-1, Rs. 5200-20,200 plus Grade Pay of Rs. 2400/-<br><br>**Note**.—He will also draw Special Allowance of Rs. 250/- p.m. for attending to duties in Canteens Type 'A', 'B', 'C', 'D', '2-A' and '3-A' and Rs. 500/- p.m. in Canteens Type '4-A' and above | Non Selection |

| (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|
| 18-25 years, (Relaxable for Govt. Servants upto the age of 40 years in accordance with the orders issued by the Central Government).<br><br>**<u>Note:</u>** The crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit names. In case post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which applications have been called for. | (a) B.Com from arecognised University.<br>Or<br>Graduate in any Discipline from arecognised University with One Year Diploma in Book Keeping or Store Keeping<br><br>(b) Experience – Three Years in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.<br><br>**Note-1**.— Qualification (s) are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidate otherwise well qualified.<br><br>**Note-2**.—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for | Not applicable | Two years for Direct Recruits, NIL for promotees |

them.

| (10) | (11) |
|---|---|
| Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment. | **Promotion:**<br><br>(i) Clerks with at least eight years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 with Grade Pay Rs. 1900/-.<br><br>(ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200/- with Grade Pay Rs. 2000/- with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk i.e; 12th Class Pass with Commerce.<br><br>**Note-1**.— For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.<br>**Note-2**.—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.<br>**Deputation:**<br><br>Officers of the Central Government—<br>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or<br>(ii) With atleast eight years regular service in the PB-1, Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1900/-<br>(iii) Possessing educational qualification as prescribed for Direct Recruits under column 7; and<br>(b) Three years experience in a Government Department or Undertaking in handling Stores or Accounts.<br><br>**Note-1**.— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation is 56 years as on the closing date of receipt of applications.<br>**Note-2**.—The departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputations shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.<br>**Note-3**.—For purposes of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. |

| (12) | (13) |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):** | | Consultation with UPSC not necessary. |
| (a) Additionalor Joint Commissioner Of Income-tax(Headquarters) | -Chairperson | |
| (b) Deputy Commissioner of Income Tax(Headquarters) where there is no Deputy Commissioner of Income-tax(Headquarters), the senior most Deputy Commissioner of Income-tax of the region. | -Member | |
| (c) Local Deputy Commissioner of Customs and Central Excise | -Member | |
| (d) One Scheduled Caste or Schedule Tribe Officer not Below the rank of Deputy Commissioner of Income Tax or Liaison Officer, unless one of the members at (a) to (c) belongs to Scheduled Caste or Scheduled Tribe | -Additional Member | |

[F. No. HRD/CM/122/01/2013-14)[Dy. No. 1511/2015-Ad.VII]

JATI SINGH MEENA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.